

Index

- 1- Short title and commencement.
- 2- Definition
- 3- Constitution of the State Commission for Backward Classes.
- 4- Term of office and condition of Service.
- 5- Officers and of her employees of the Commission.
- 6- Salaries and allowances to be paid out of grants.
- 7- Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
- 8- Procedure to be regulated by the Commission.
- 9- Functions of the Commission.
- 10- Powers of the Commission.
- 11- Periodic revision of the Schedule by the State Government.
- 12- Grants by the State Government.
- 13- Accounts and Audit.
- 14- Annual report.
- 15- Annual report and audit report to be laid before the State legislature.
- 16- Chairman, Members & employees of the Commission to be public servants.
- 17- Power to make rules.
- 18- Penalty
- 19- Cognizance of offences.
- 20- Protection of action taken in good faith.
- 21- Power to remove difficulties.
- 22- Saving.
- 23- Repeal and savings.

Uttar Pradesh Sarkar
Vidhayi Anubhag-1
No. 34/XVII-V-1-1(KA)44-1996
Dated Lucknow, January 5, 1996

The following President's Act enacted on January 5, 1996 is published for general information:-

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD
CLASSES ACT, 1996

(President's Act No.1 of 1996)

[Enacted by the President in the Forty-sixth year of the Republic of India]

AN
ACT

to constitute a Commission for the State of Uttar Pradesh for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters Connected therewith or incidental.

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Uttar Pradesh State Legislative (Delegation of Powers) Act, 1995, the President is pleased to enact as follows:-

CHAPTER-I
Preliminary

Short title and
commencement

I. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 17, 1994.

Definition

2. In this Act-

(a) "backward Classes" means such classes of citizens as are defined in clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time:

(b) "Commission" means the State Commission for Backward Classes constituted under Section 3:

(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman:

(d) "Schedule" means Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

CHAPTER-II

The State Commission for Backward Classes

Constitution of
the State
Commission
for Backward
Classes

3.(1) The State Government shall constitute a body to be known as the State Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The headquarters of the Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

¹[(3) The Commission shall consist of a Chairman, two Vice-Chairman and seventeen other Member's nominated by the State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity]

Amendment
of section 3 of
President's
act no.1, 1996

²[(a) for the words "seventeen other members" the words "twenty-five other members" shall be substituted;

(b) Provided that at least one representative from minority community shall be nominated as member in the Commission.

Explanation-For the purposes of this Act the word 'minority' shall have the same meaning as defined in the Uttar Pradesh Commission for Minorities Act, 1994 (U.P. Act no. 22 of 1994).]

¹ Section 3 (3) of Principal Act 1996 has been Substituted by UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2007 No. 1187/79 -V-1-07-1(Ka) 29/2007 Dated Lucknow, July 09, 2007

² Section 3 (3) of Principal Act 1996 has been Substituted by UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2014 No. 323(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)7-2014 Dated Lucknow, March 4, 2014

4.(1) ³[The Chairman, Vice-Chairman or every other member shall hold office for a term of one year from the date he assumes office:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such during the pleasure of the State Government.]

(2) A member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman or, as the case may be, of Member at any time but shall continue to hold office until his resignation is accepted.

(3) ⁴[(b) sub-section (3) shall be omitted.]

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

⁵[(6) (a) The Chairman shall be having the status of a Minister of the State.

(b) The Vice-Chairman shall be having the status of the Deputy Minister of the State;]

5.(1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

Officers and
of her
employees of
the
Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and others terms and conditions of service of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

³ Section 4 (1) of Principal Act 1996 has been Substituted by UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2007 No. 1187/79 -V-1-07-1(Ka) 29/2007 Dated Lucknow, July 09, 2007

⁴ Section 4 (3) of Principal Act 1996 has been omitted by UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2007 No. 1187/79 -V-1-07-1(Ka) 29/2007 Dated Lucknow, July 09, 2007

⁵ Section 4(6)(a)(b) has been Inserted by UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2007 No. 1187/79 -V-1-07-1(Ka) 29/2007 Dated Lucknow, July 09, 2007

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in Section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.

8.(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decision of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

Procedure to be regulated by the Commission.

CHAPTER-III

Functions and powers of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

Functions of the Commission

(a) the Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any backward class in the Schedule and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(b) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the backward classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;

(c) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of right and safeguards of the backward classes;

(d) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the backward classes and to evaluate the progress of their development;

(e) to present to the State Government Annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(f) to make in such reports recommendations, as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the backward classes; and

(g) to discharge such other function in relation to the protection, welfare, development and advancement of the backward classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each House of the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Powers of the
Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic
revision of the
Schedule by
the State
Government

11. (1) The State Government may at any time and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of the Act and every succeeding period of ten years thereafter, under take revision of the Schedule with a view to excluding from the Schedule those classes who have ceased to be backward classes or for including in the schedule new backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1), consult the Commission.

CHAPTER-IV

Finance, accounts and audit

Grants by the
State
Government

12.(1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to be Commission by way of grants such sums of money as the State Government to think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

13. (1) The commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

Accounts and
Audit

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspecting any of the offices of the Commission as may be prescribed.

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual
report

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under Section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before both the Houses of the State Legislature.

Annual
report and
audit report
to be laid
before the
State
legislature

CHAPTER-V

Miscellaneous

16. The Chairman, members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Chairman,
Members &
employees of
the
Commission
to be public
servants.

power to make
rules.

17.(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) Salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub section (8) of section 4 and of officers and other employees, under sub-section (2) of section 5:

(b) the form in which the annual statements of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 13;

(c) the form in, and the time at which the annual report shall be prepared under section 14;

(d) any other matter which is required to be or may be prescribed.

18. Whoever, being legally bound to obey any order or direction of the Commission under Section 10 disobeys such order or direction shall be punishable under Section 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, as the case may be.

Penalty

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on the complaints in writing of the Chairman or a member or of an officer of the Commission authorised in this behalf by the Commission.

Cognizance
of offences.

Protection of
action taken in
good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to
remove
difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration or a period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

U.P. Act no. 1
of 1904

Saving

22. Notwithstanding anything in this Act the Commission constituted by the Uttar Pradesh Government Order No. 22/16/92-Ka-2-93, dated March 9, 1993, shall be deemed to have been duly constituted under the provisions of this act and the term of three years of the Chairman and other Members of the said Commission shall be computed from the date of which they had assumed charge of their respective officers.

Repeal and
savings

23.(1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

U.P.
Ordinance
no. 34 of 1995

SHANKER DAYAL SHARMA,
President.
K.L. MOHANPURIA,
Secretary to the Government of India.

Reasons for the enactment

In pursuance of the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the Mandal Commission Case (Indira Sahani Vs. Union of India), the State Government constituted a commission for Backward classes by notification dated 9th March, 1993. It was decided to regulate the constitution of the said Commission by an enactment. It was further decided that besides examining the request for inclusion of any class of citizens as backward class and complaints of wrong inclusion or non-exclusion in the list of Backward Classes, the Commission may also perform other specified functions with a view to safeguard of the interest and welfare of the Backward classes.

2. Since the State Legislature was not in session immediate legislative action in the matter was necessary, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1994 (U.P. Ordinance No. 26 of 1994) was promulgated by the Governor on the 17th November, 1994. To replace the provisions of the aforesaid Ordinance the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Bill, 1995 was introduced in the Uttar Pradesh Legislative Council on the 6th February, 1995 but since the said Bill could not be passed by the Uttar Pradesh Legislative Council, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No.12 of 1995) was promulgated by the Governor on the 30th March, 1995 to keep the provisions of the aforesaid Ordinance in force.

3. Since the aforesaid bill could not be passed in the session of the State Legislature, commencing from the 14th July,1995, and remained pending with the Legislative Assembly, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No. 34 of 1995) was promulgated by the Governor on the 25th August, 1995 to replace the provisions of the aforesaid U.P. Ordinance No.1 2 of 1995.

4. The President issued a proclamation on the 18th October, 1995 under Article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, declaring, inter alia, that the powers of Legislature of the State shall be exercised by or under the authority of Parliament. Parliament has, under Article 357(1)(a) of the Constitution, now conferred on the President, the powers of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to

make laws vide the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996).

5. The said Ordinance could not be replaced by an Act and the Ordinance is expiring on the 7th January, 1996. It is, therefore, decided that the said Ordinance shall be replaced by a President's Act.

6. Under the Provisions to sub-section (2) of Section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996) the President shall, before enacting any President's Act, consult a Committee constituted for the purpose consisting of the members of both the Houses of Parliament. As the said Committee has yet not been constituted and the matter is very urgent, it is proposed to enact the measure without reference to the said Committee.

K.B. SAXENA,
Secretary to the Government of
India.

By Order
R.D. MATHUR,
PramukhSachiv.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India
असाधारण
Extraordinary
भाग-2 अनुभाग क
Part-II Section IA
प्राधिकार में प्रकाशित
Published by Authority

नई दिल्ली शुक्रवार 05 जनवरी 1996, 15 पौष 1917 (शक){खण्ड XXX}

New Delhi Friday 05 January 1996 Paush 15, 1917 (Shaka) {Vol.- XXX}

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप से रखा जा सके।
Seperate Paging is given to this part in order that it may be used as seperate compillation

विधि न्याय की कम्पनी कार्य मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, 5 जनवरी/1996/15 पौष, 1917 (शक)

राष्ट्रपति का निम्नलिखित अधिनियम साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

अधिनियम, 1996

(1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक-1)

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित

(5 जनवरी 1996)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं;

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- (2)यह 17 नवम्बर 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में-

(क) "पिछड़ा वर्ग" से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित हैं ;

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं ;

(घ) "अनुसूची" के समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 अभिप्रेत है।

अध्याय 2

पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग

पिछड़ा वर्ग
राज्य आयोग
का गठन

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग कहा जाएगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या-1 1996
की धारा 3 का
संशोधन

°[(3) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक, अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह अन्य सदस्य होंगे"।]

⁶ मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-3 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 संख्या-1187/79-वि-1-07-01-(क)29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

⁷[(क) शब्द "सत्रह अन्य सदस्य" के स्थान पर शब्द "पच्चीस अन्य सदस्य" रख दिये जायेंगे।

(ख) अन्त में निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द 'अल्पसंख्यक' का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994) में परिभाषित है।"]

पदावधि और
सेवा की शर्तें।

4. ⁸(1) [अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिये पद धारण करेगे,

राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या-1 सन्
1996 की धारा
4 का संशोधन

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेंगे।]

(2) यदि सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथस्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद किसी भी समय त्याग सकेगा, किन्तु जब तक उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाता वह अपने पद पर बना रहेगा।

⁹(3) [(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।]

⁷ मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-3 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 संख्या-323/79-वि-1-14-1(क)-7-2014, लखनऊ, 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधन किया गया है।

⁸ मूल अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-1 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 संख्या-1187/79-वि-1-07-01-(क)29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा प्रतिस्थित किया गया है।

⁹ मूल अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-3 को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 संख्या-1187/79-वि-1-07-01-(क)29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा निकाल दी गयी है।

- (4) उपधारा (2) के अधीन कार्यरत या अन्यथा होने वाली रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।
- ¹⁰[(6) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।
(ख) उपाध्यक्ष को राज्य के उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होगी।
5. (1) राज्य सरकार आयोग के लिए सचिव और ऐसे सक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
- (2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी श्रेणी के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।
6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा-5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के संदेय, वेतन भत्ते, और पेंशन है, धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जायेगा। वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय
7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
8. (1) आयोग का अधिवेशन, जब भी आवश्यकता हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना।
- (2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।
- (3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

¹⁰ मूल अधिनियम की धारा-4 में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 संख्या-1187/79-वि-1-07-01-(क)29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा उपधारा 6 (क)(ख) बढ़ा दी गयी है।

अध्याय-3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

9. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्-

आयोग के कृत्य

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायोंकी प्रणाली का मूल्यांकन करना ;

(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायोंकी कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किए जाएं, सिफारिश करना;

(छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उनको निर्दिष्ट किए जाएं, निर्वहन करेगा ;

(2)राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष,आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश का अस्वीकार किए जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए जापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने, शक्ति और विशिष्टियां निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना ; और

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूची का नियतकालिक पुनरीक्षण

11. (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों की, जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं, निकालने या नये पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने की दृष्टि से अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर ऐसा पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय- 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान-मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझें।
- राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
- (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा, जो वह ठीक समझें और यह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।
13. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो विहित की जाए।
- लेखा और संपरीक्षा
- (2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, लेखा परीक्षा के द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो विहित किए जाएं।
- (3) लेखा परीक्षक की बहियों, लेखाओं सम्बन्धित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने की ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाए।
14. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।
- वार्षिक रिपोर्ट
15. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही का और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन तथा संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
- वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाना

अध्याय- 5

प्रकीर्ण

16. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।
- आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।
17. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- नियम बनाने की शक्ति
- (2) विशिष्टतया और पूर्वनामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्-
- (क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;
- (ख). यह प्रारूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जायेगा।
- (ग) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- (घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।
- शक्ति
18. जो कोई, धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आवद्ध होते हुए, इस आदेश या निर्देश की जानबूझ कर अवज्ञा करे वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो दण्डनीय होगा।
- अपराध का संज्ञान
19. कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण 20. किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम तदन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हों या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 21. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) की अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

अपवाद 22 इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, भी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 22/16/92-का-2-93, दिनांक 9 मार्च 1993 द्वारा गठित आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित आयोग समझा जायेगा और उक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद 23. (1) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (द्वितीय) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

के०एल० मोहनपुरिया
सचिव
भारत सरकार

अधिनियमन के कारण

1. मण्डल आयोग मामले (इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार ने तारीख 9 मार्च 1993 की अधिसूचना द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया। यह विनिश्चय किया गया कि उक्त आयोग के गठन को एक अधिनियमिति द्वारा विनियमित किया जाए। आगे यह भी निश्चित किया गया कि पिछड़े वर्गों की सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में किसी वर्ग के नागरिकों को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों और गलत रूप से सम्मिलित किए जाने या न किये जाने की शिकायतों की जांच करने के अलावा आयोग पिछड़ों वर्गों के हित और कल्याण की सुरक्षा करने की दृष्टि से यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों का भी पालन कर सकेगा।
2. राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और इस विषय में तुरन्त विधायी कार्रवाई किया जाना आवश्यक था, अतः उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1994 (1994 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्याक-26) को राज्यपाल द्वारा 17 नवम्बर 1994

को प्रख्यापित किया गया। पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग विधेयक, 1995 उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 06 फरवरी, 1995 को पुनः स्थापित किया गया था, किन्तु उक्त विधेयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित नहीं जा सका और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12) राज्यपाल द्वारा 30 मार्च, 1995 को पूर्वोक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रवर्तन में रखने के लिए प्रख्यापित किया गया।

3- पूर्वोक्त विधेयक 14 जुलाई 1995 से प्रारम्भ होने वाले राज्य विधान मण्डल के सत्र में पारित नहीं किया जा सका और यह विधान सभा में लम्बित रहा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (दूसरा) अध्यादेश 1995 (1995 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक-34) राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त, 1995 को 1995 के पूर्वोक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 12 के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रख्यापित किया गया।

4- राष्ट्रपति ने 18 अक्टूबर 1995 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन एक उद्घोषणा जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग सदस्य द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किया जाएगा। संसद में अब संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (क) के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य की विधि बनाने की विधान मंडल की शक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1995 (1996 का 2) के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त कर दी हैं।

5- उक्त अध्यादेश की अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका है और अध्यादेश 07 जनवरी 1996 को समाप्त हो रहा है। अतः यह विनिश्चित किया गया है कि उक्त अध्यादेश को राष्ट्रपति के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

6- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 (1996 का 2) की धारा-3 की उपधारा-2 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अधिनियम का अधिनियमन किए जाने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए गठित समिति से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे, परामर्श करेंगे। चूंकि उक्त समिति अभी तक गठित नहीं की गई है और यह विषय अतिआवश्यक है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि अभ्युदाय को उक्त समिति को निर्देश किए बिना अधिनियमित किया जाए।

के० वी० सक्सेना
सचिव, भारत सरकार।